

मध्यप्रदेश विधान सभा



नवम्बर-दिसम्बर, 2017 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2017 (अग्रहायण 7, 1939)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखेंगे -

- (1) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2017), तथा
- (2) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017).

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 53 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्न अधिसूचनाएं -

- (क) क्रमांक 1020-म.प्र.वि.नि.आ./2017, दिनांक 12 जुलाई, 2017 (शुद्धि पत्र), तथा
- (ख) क्रमांक 1249/म.प्र.वि.नि.आ./2017, दिनांक 31 अगस्त, 2017

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री संजय पाठक, राज्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (31 मार्च, 2009 को समाप्त) तथा 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (31 मार्च, 2010 को समाप्त) पटल पर रखेंगे.

4. जुलाई, 2017 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. नियम 267 - क के अधीन जुलाई, 2017 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मंदसौर एवं नीमच जिले में चिटफण्ड कंपनियों द्वारा निवेशकों की राशि हड़पी जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य, प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ न मिलने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. सभापति तालिका की घोषणा.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति.

- (1) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम लेहेचुआ से चोरगड़ी तक आर.सी.सी. सड़क बनाये जाने,
 - (2) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम इमलाज जलाशय से नहर का विस्तारीकरण कराये जाने,
 - (3) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम बावडियाचोर की भूरीघाटी में शासकीय प्राथमिक शाला के नवीन भवन का निर्माण किये जाने,
 - (4) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम खरहरी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
 - (5) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के डॉ. हरिसिंह गौर वार्ड में पीताम्बरा मंदिर से भानू पटेल के घर तक नाले का निर्माण किये जाने,
 - (6) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिले के वार्ड क्र. 01 नानाखेड़ी से वृद्धाश्रम तक डामरीकृत रोड बनाये जाने,
 - (7) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, भोपाल जिले के ग्राम बरखेड़ा नाथू से कलखेड़ा मार्ग को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़क बनाये जाने,
 - (8) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम पांडिया छपारा में कन्या हाई स्कूल प्रारंभ किये जाने,
 - (9) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम पथरेही से सरसी तक सड़क का निर्माण किये जाने,
 - (10) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम सिधौरा एवं मजरा जिन्द का पुरा में शाला भवन का निर्माण किये जाने,
 - (11) पं. रमाकान्त तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम महली के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
 - (12) श्री लखन पटेल, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम पीपरखिरिया से गूड़ा तक नवीन मार्ग स्वीकृत किये जाने,
 - (13) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के राजा यादवेन्द्र सिंह स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हेतु राशि स्वीकृत कराये जाने, तथा
 - (14) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर जिले के ग्राम पचलाना में मुख्यमंत्री योजनान्तर्गत हाट बाजार में सुव्यवस्थित व्यापार संचालन हेतु स्थाई संरचना निर्मित किये जाने,
- के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता, विधान सभा के जुलाई, 2017 सत्र में पुरःस्थापित मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 22 सन् 2017) को वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक वापस लेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 27 नवम्बर, 2017

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.